रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1976/माघ 27, 1897
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1976/MAGHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. 1...
Date... 1...

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 16th February 1976

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation Rules, 1956, namely:—

1. These rules may be called the Life Insurance Corporation (Amendment) Rules, 1976.

2. In the Life Insurance Corporation Rules, 1956, in rule 9, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) daily allowances for halts on duty at the following rates, namely:—

(i) actual hotel charges for lodging and boarding, where separate hotel charges are not shown,

or

(ii) actual hotel charges for lodging plus Rs. 30/- per day for boarding, or

(iii) Rs. 30/- per day all inclusive where he stays in a place other than a hotel:

Provided that where he stays in a hotel the maximum amount per day under sub-clause (i) or sub-clause (ii) shall not exceed Rs. 150/- per day."

[No F. 65 (24) Ins. III/5/75]

G. H. DAMLE, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

बीमा

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 80 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीवन बीमा निगम नियम, 1956 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1976 है ।

2. जीवन बीमा निगम, 1956 में नियम 9 में, उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कर्त्तव्य पर विरामों के लिए निम्नलिखित दरों पर दैनिक भत्ता, अर्थात् :—

(i) आवास और आहार के लिए वास्तविक होटल प्रभार, जहां होटल प्रभार पृथकतः दर्शित नहीं किए जाते हैं, या

(ii) आवास के लिए वास्तविक होटल प्रभार, साथ में आहार के लिए 30 रु० प्रति दिन, या

(iii) जहां वह होटल से भिन्न किसी और स्थान पर ठहरता है, वहां सब मिलाकर 30 रुपये प्रति दिन ।

परन्तु जहां वह किसी होटल में ठहरता है तो उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) के अधीन प्रतिदिन अधिकतम रकम 150 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी ।"

[सं० फा० 65 (24)—बीमा (III)/5/75]

जी० एच० दामले, संयुक्त सचिव ॥

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976